



न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)
(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :-110/2024 (2024/104)

1. रामनारायण पुत्र गौरु जाति बैरवा निवासी ग्राम रलावता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
--वादी--

बनाम्

- कमला देवी पत्नी चन्दा जाति बैरवा
- नाथ्या पुत्र गौरु
- बाबू पुत्र चन्दा
- मीरा देवी पुत्र चन्दा
- रामप्रसाद पुत्र चन्दा
- समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम रलावता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
- पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिरौली तहसील सांगानेर जिला जयपुर जरिये मैनेजर।
- सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
- हुकम नावरिया पुत्र छोटेलाल जाति खटीक सा.जवाहर कॉलोनी महवा जिला दौसा।
- चेतराम पुत्र अन्नलाल जाति खटीक सा.मोहनपुरा पलानहेड़ा जिला दौसा।

--प्रतिवादीगण--

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-श्री राजेश कुमार शर्मा, एड0 वादी

पचा डिक्री

दिनांक 28/10/2024

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 36/0.2908, 35/0.5943, 65/0.6955 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5806 हैक्टयर वाके ग्राम रलावता प.ह. सिरौली तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 01.10.2024 अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खेतदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	रामनारायण पुत्र गौरु हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा.देह राहिन हिस्सा सम्पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिरौली	35/2	0.1981
		65/2	0.2318
		136/2	0.0970
		कुल किता 3	कुल रकबा 0.5269
2	नाथ्या पुत्र गौरु हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा.देह	35/1	0.1981
		65/1	0.2319
		136/1	0.0969
		कुल किता 3	कुल रकबा 0.5269
3	बाबू पुत्र चन्दा हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा.देह, रामप्रसाद पुत्र चन्दा हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा.देह, कमला देवी पत्नी चन्दा हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा.देह, मीरा देवी पुत्री चन्दा हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा.देह	136/3	0.0969
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.0969

4	हुकम नावरिया पुत्र छोटेलाल नावरिया हिस्सा सम्पूर्ण जाति खटीक सा.जवाहर कॉलोनी महवा दौसा	35/3	0.1981
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.1981
5	चेतराम पुत्र अर्जुनलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति खटीक सा.देह मोहनपुरा पलानहेड़ा दौसा	65/3	0.2318
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.2318

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पत्राक भू.अ./2024/4899 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का माग बनाया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में जर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं मद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

इस निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

